भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4748

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

कारीगरों को प्रत्यक्ष-लाभ अंतरण

4748. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से कारीगरों के बैंक खातों में सीधे मजदूरी हस्तांरित करने के तरीके तलाशने के लिए कोई सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मजदूरी और अन्य लाभों के उद्देश्य से कारीगरों को कुशल श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार कारीगरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी। केवीआईसी की प्रमुख भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास के लिए योजना बनाना, संवर्धन, सुविधा प्रदान करना, व्यवस्थित करना और सहायता करना है, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर सृजित हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। खादी विकास योजना (केवीवाई), खादी क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत एक प्रमुख स्कीम है। संशोधित बाज़ार विकास सहायता (एमएमडीए), केवीवाई का एक घटक है जिसके माध्यम से खादी उत्पादक संस्थाओं, खादी कारीगरों और खादी कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कारीगरों और कार्यकर्ताओं को एमएमडीए का पारदर्शी और समय पर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए, केवीआईसी ने लाभार्थियों के बैंक खातों पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली शुरू की, जिससे बिचौलियों को समाप्त किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि अभीष्ट लाभार्थियों को स्कीम का लाभ मिले।

(ख) से (ङ): संशोधित बाज़ार विकास सहायता (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत कारीगरों को वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें उनके द्वारा किए गए उत्पादन के अनुपात में जारी किए जाते हैं। खादी क्रियाकलाप एक विकेन्द्रीकृत और सामान्यतः अंशकालिक क्रियाकलाप है जिसमें खादी कारीगरों की आय पीस दर प्रणाली पर आधारित होती है, जो कारीगरों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है और उनके द्वारा बुनी जाने वाली खादी की किस्म, जैसे सूती खादी, रेशमी खादी, मलमल खादी, ऊनी खादी, आदि के अनुसार भी भिन्न होती है। इसलिए, इस आय की तुलना कुशल श्रमिकों की आय से नहीं की जा सकती।

*****